"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 85] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 मार्च 2006—फाल्गुन 30, शक 1927

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-8/खाद्य/2004/29.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (क्रमांक 10 सन् 1955) की धारा 3, सहपठित भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश क्रमांक जी. एस. आर. 630 (ई) दिनांक 31-8-2001 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त आदेश में,—

1. खण्ड 9 के उपखण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(1) छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 के अन्य प्रावधानों की शर्तों के अध्यधीन रहते हुए वृहताकार आदिमजाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (लेम्पस), प्राथमिक कृषि साख समितियों, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा संचालित दुकानें यथावत् संचालित रहेंगी किन्तु निजी व्यक्तियों द्वारा उचित मूल्य दुकानों का संचालन नहीं कराया जायेगा. इस आदेश के प्रभावशील होने की तिथि से छः माह की समयावधि के अंदर निजी उचित मूल्य दुकानों का आवंटन रद्द किया जाकर ऐसी दुकानें नियम 9 के उप नियम (3) एवं (4) में निर्धारित एजेन्सियों को आवंटित की जावेगी."

2. खण्ड 9 के उपखण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(2) (क) उचित मूल्य दुकानों का आवंटन जिला मुख्यालय पर कलेक्टर के अनुमोदन पर खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी एवं जिला मुख्यालय के अतिरिक्त संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर के अनुमोदन पर किया जावेगा.

(ख) जिस क्षेत्र में एक से अधिक प्राथमिक सहकारी साख समितियां हो, वहां जिले के उप पंजीयक/सहायक पंजीयक की अनुशंसा पर समिति का चयन कर आवंटन किया जावेगा.

अनुशंसा, एजेंसियों की आर्थिक स्थिति तथा राशनकार्डधारियों को नियमित रूप से खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की सक्षमता तथा ऐसे अन्य सुसंगत कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जावे, के आधार पर की जावेगी.

(ग) उचित मूल्य दुकानों का आवंटन उन सहकारी समितियों को किया जावेगा जिनके गठन का एक प्रमुख उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण अथवा विक्रय अपने सदस्यों अथवा क्षेत्र के अन्य लोगों को करना है.

सामान्यत: किसी भी एजेंसी को उसके कार्यक्षेत्र की एक उचित मूल्य दुकान आवंटित की जावेगी किन्तु राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु किसी एजेंसी को दुकान आवंटन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विशिष्ट कारण दर्शाते हुए एक से अधिक उचित मूल्य दुकान आवंटित की जा सकेगी किन्तु किसी भी परिस्थिति में उक्त संख्या तीन उचित मूल्य दुकानों से अधिक नहीं होगी.

(घ) उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा. तथा संबंधित क्षेत्र के नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत को अनिवार्य रूप से इसकी सूचना दी जाएगी."

3. खण्ड 9 के उपखण्ड (3) के उपखण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(क) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित मूल्य दुकानों का आवंटन निम्न एजेंसियों को किया जावे :-

(एक) वृहताकार आदिमजाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियां (लेम्पस).
(दो) ग्राम पंचायत.
(तीन) महिला स्व-सहायता समूह.
(चार) वन सुरक्षा समितियां.
(पांच) अन्य सहकारी समितियां."

4. खण्ड 9 के उपखण्ड (3) के उपखण्ड (ख) का लोप किया जाए.

5. खण्ड 9 के उपखण्ड (3) के उपखण्ड (ग) का लोप किया जाए.

6. खण्ड 9 के उपखण्ड (3) के उपखण्ड (घ) का लोप किया जाए.

7. खण्ड 9 के उपखण्ड (4) के उपखण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(क) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित मूल्य दुकानों का आवंटन निम्न एजेंसियों को किया जावे :-

(एक) ग्राम पंचायत.
(दो) महिला स्व-सहायता समूह.
(तीन) प्राथमिक कृषि साख समितियां.
(चार) अन्य सहकारी समितियां."

8. खण्ड 9 के उपखण्ड (4) के उपखण्ड (ख) का लोप किया जाए.

9. खण्ड 9 के उपखण्ड (4) के उपखण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जावे :-

"(ग) अन्य सहकारी समितियों को छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम, 1960 अथवा छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है. ऐसी अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानों के अभिलेखों का अंकेक्षण सहकारिता विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जावेगा."

10. खण्ड 9 के उपखण्ड (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(5) उचित मूल्य दुकानों का आवंटन केवल उन अन्य सहकारी समितियों को किया जावे जो दिनांक 31 मई, 2004 या उससे पूर्व से पंजीकृत हो."

11. खण्ड 9 के उपखण्ड (7) का लोप किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. राउत, सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2006

क्रमांक एफ 13-8/खाद्य/2004/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना में संशोधन दिनांक 21 मार्च, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. राउत, सचिव.

Raipur, the 21st March 2006

NOTIFICATION

No. F 13-8/Food/2004/29.—In exercise of the power conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the Public Distribution System (Control) Order No. G.S.R. 630(E) dated 31-8-2001 issued by Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the state government hereby makes the following amendment in Chhattisgarh Public Distribution System (Control) Order, 2004, namely :-

AMENDMENTS

In the said order,—

1. For sub-clause (1), of clause-9, the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(1) Fair Price Shop run by Large Aadimjati Multipurpose Co-operative Societies (LAMPS). Primary credit co-operative societies , forest protection committees, self helf groups, gram panchayats and other co-operative societies shall be continued but not run by the private persons subject to the conditions of other provisions of the Chhattisgarh Public Distribution System (Control) Order, 2004. Within six months from commencement of this Order, Fair Price Shops run by the private persons shall be cancelled and allotted to the specified agencies mentioned in sub rule (3) and (4) of rule 9."

2. For sub-clause (2), of clause-9, the following sub-clause shall be substituted, namely :-

"(2) (a) In district headquarters Fair Price Shops shall be allotted by Food Controller/Food Officer on approval of Collector and in remaining places of District, by sub divisional officer of sub division on approval of Collector.

(b) In areas where more than one primary credit co-operative societies exists, allocation shall be made on the recommendations of the Deputy Registrar/Assistant Registrar of district.

Recommendations shall be on the basis of economic status, ability to supply the foodgrain and other essential commodities to ration cardholders regularly, and such other relevant factors, which may be determined by the State Government from time to time.

(c) Fair price shop shall be allotted to only those Co-operative society which is constituted with the object of distributing or selling essential commodities to its member and to other people in the area.

Ordinarily one fair price shop shall be allotted to any agency for its area of operation but to ensure regular supplies of essential commodities to ration cardholders, authorised officer may allot more than one fair price shop to any agency by assigning specific reason, but in any case the number will not exceed three fair price shops.

(d) For allotment of Fair Price Shop an advertisement shall be published in local newspapers and information of it shall be given to concerned urban local bidies and Gram Panchayat compulsorily."

3. For sub-clause (a) of sub clause (3) of clause - 9, the following sub clause shall be substituted, namely :-

"(a) Allotment of Fair Price Shops to agencies by authorised officer shall be done only to following :-

(i) Large Aadim Jati Multipurpose Co-operative Societies (LAMPS).
(ii) Gram Panchayats.
(iii) Women's Self helf groups.
(iv) Forest protection committees.
(v) Other co-operative societies."

4. Sub clause (b) of sub-clause (3) of clause-9 shall be omitted.

5. Sub clause (c) of sub-clause (3) of clause-9 shall be omitted.

6. Sub clause (d) of sub-clause (3) of clause-9 shall be omitted.

7. For sub clause (a) of sub-clause (4) of clause-9, the following sub clause shall be substituted, namely :-

"(a) Allotment of Fair Price Shops to agencies by authorised officer shall be done only to following :-

(i) Gram Panchayats.
(ii) Women's Self help groups.
(iii) Primary Agriculture Credit Societies.
(iv) Other co-operative societies."

8. Sub clause (b) of sub-clause (4) of clause-9 shall be omitted.

9. For sub-clause (c), of sub-clause (4) of clause-9, the following sub-clause shall be substituted, namely :-

"(c) Other consumer co-operative societies shall be registered under Chhattisgarh Co-operative Act, 1960 or Chhattisgarh Swayatta Sahakarita Adiniyam, 1999. The authorised officer of Co-operative department shall do audit of accounts of Fair Price Shops run by other consumer co-operative societies."

10. For sub-clause (5), of clause-9, the following sub-clause shall be substituted, namely :-

“ (5) Fair Price Shops shall be allotted to only those other co-operative societies, which is registered on or before 31st May 2004.”

11. Sub clause (7) of clause-9 shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. K. RAUT, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.